अवनीश झिंगन के समकस, जे.

सुमन और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

नरेनदर z और अन्य&प्रतिवादी

2018 के प्रतिवादीगण एफ. ए. ओ. No.6000

28 मार्च, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, **1988-S.140** और **163**-ए-क्षतिपूर्ति-विचार के लिए प्रश्न एक बार यह माना जाता है कि उधारकर्ता मालिक के स्थान पर कदम रखता है-क्या इसके विपरीत स्थिति ली जा सकती है कि उधारकर्ता को व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के तहत कवर नहीं किया जाएगा?— जी. आर.-**36** में दर्ज, नहीं-नोट, केवल पंजीकृत मालिक ही पी. ए. सी. के लिए हकदार है यदि उसके पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है-व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी जहां वाहन किसी कंपनी, साझेदारी फर्म या इसी तरह के निकाय कॉर्पोरेट के स्वामित्व में है-मालिक का प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के दायरे में नहीं आएगा-इस प्रकार, पी. ए. सी. का मामला वाहन के उधारकर्ता के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकता है-अधिनियम की धारा **140** को लागू करने के लिए उपयुक्त-दावेदार 'कोई गलती दायित्व नहीं' के लिए **Rs.50,000/-** के हकदार हैं जैसा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है।

माना जाता है कि जी. आर.-36 में नोट में कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत मालिक व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के लिए हकदार है यदि उसके पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है।उक्त बीमा वहाँ नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ वाहन का स्वामित्व किसी कंपनी, साझेदारी फर्म या इसी तरह के निकाय कॉर्पोरेट के पास हो।यह आगे स्पष्ट करता है कि मालिक का प्रतिनिधि पी. ए. सी. के दायरे में नहीं आएगा। (पैरा 12) ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 163-ए के

अवलोकन और निंगम्मा इसके अलावा यह माना गया के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अदालत दवारा दरज किये गये निष्कर्षों पर कोई छाया नहीं डाली जा सकती है।

इसके अलावा पी. ए. सी. का मामला वाहन के उधारकर्ता के लिए नहीं हो सकता है।

(पैरा 14) ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 140 को लागू करना उचित होगा। उक्त प्रावधान के तहत, दावेदार 'नो फॉल्ट लायबिलिटी' के लिए Rs.50,000/- के हकदार हैं, जैसा कि प्रावधान किया गया है, जिसका भुगतान उल्लंघन करने वाले वाहन के बीमाकर्ता द्वारा किया जाना है।

(पैरा 15)

चंद्रहास यादव, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

अवनीश जिंगान, जे. ओरल

(1) वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झज्जर (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 7.3.2018 के फैसले से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत दायर दावा याचिका को संदीप की मृत्यु के कारण खारिज कर दिया गया था।

(2) अपील में प्रतिवादीगण मोटरसाइकिल के मालिक हैं जिनके पंजीकरण संख्या। एचआर-13-जे-1668 ('अपमानजनक वाहन' के रूप में संदर्भित) और बीमाकर्ता (यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड) उल्लंघन करने वाले वाहन का।

(3) संक्षेप में तथ्य यह है कि 24.9.2012 को संदीप आपत्तिजनक वाहन चला रहा था ।रास्ते में एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा और उसका पीछा करने लगा ।संदीप स्पीड ब्रेकर को पार कर रहा था, डर के कारण वह नियंत्रण खो बैठा और बाइक फिसल गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं ।उन्हें झज्जर के सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ से उन्हें पीजीआईएमएस, रोहतक और फिर दिल्ली के अगरसैन अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया ।अंततः उसने 26.9.2012 पर चोटों के कारण दम तोड़ दिया ।डी. डी. आर. सं. 67 दिनांकित

27.9.2012 झज्जर के पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

(4) अधिनियम की धारा 163-ए के तहत एक दावा याचिका दायर की गई थी। पर भरोसा करते हुए दावा पर भरोसा करते हुये याचिका को खारिज कर दिया।

निंगम्मा में उच्चतम न्यायालय का निर्णय और एक अन्य बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1 ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक था

उल्लङ्घन करने वाले वाहन का उधारकर्ता और अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दावा याचिका विचारणीय नहीं है।

(5) अपीलार्थियों के लिए विद्वान परामर्श सुना और कागजी पुस्तक का अध्ययन किया।

(6) अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि मृतक उल्लंघन करने वाले वाहन का उधारकर्ता था, इस प्रकार, मालिक के जूते में कदम रखा, इसलिए दावेदार व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (संक्षेप में, 'पीएसी') के तहत दी जाने वाली राशि के हकदार थे।

(7) निंगम्मा के मामले (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक उधारकर्ता वाहन के मालिक के जूते में कदम रखता है।सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा वह था:-

"13. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या किसी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि, जो मोटर वाहन चला रहे थे, वास्तविक मालिक से इसे उधार लेने के बाद किसी अन्य वाहन को शामिल किए बिना दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वे एमवीए की धारा 163-ए के तहत या कानून के किसी अन्य प्रावधान (प्रावधानों) के तहत मुआवजे के हकदार होंगे और यह भी कि बीमा पॉलिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता क्या इसके लिए बाध्य होगा

मृतक या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति दें?"

इस मुद्दे का निर्णय लिया गया और इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया:-

"19 इससे पूरव हम पहले ही धारा 163-ए एम वी ए का हल निकाल चुके हैं।

उक्त प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान मामले

में मृतक जैसे व्यक्ति वाहन के मालिक के स्थान पर कदम रखेंगे।

जिस मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई थी या जहां वह उपरोक्त मोटर वाहन से उत्पन्न दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया था, उस स्थिति में मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी या मालिक पर है, जैसा कि धारा 163-ए के तहत प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि चालक मोटर वाहन का मालिक है, तो उस मामले में मालिक स्वयं मुआवजे का प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता है क्योंकि उसी का भुगतान करने का दायित्व उस पर है ।एम. वी. ए. की धारा 163-ए को पढ़ने पर यह प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। तदनुसार, मोटर वाहन के मालिक के जूते में कदम रखने वाले मृतक के कानूनी प्रतिनिधि एमवीए की धारा 163-ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते थे। "यह माना गया कि मृतक के प्रतिनिधि मोटर वाहन के मालिक के जूते में कदम रखते हैं, इसलिए, अधिनियम की धारा 163-ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।

(8) अब मुद्दा यह है कि एक बार जब यह माना जाता है कि उधारकर्ता मालिक के स्थान पर कदम रखता है तो इसके विपरीत रुख अपनाया जा सकता है कि उधारकर्ता को पी. ए. सी. के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।

(9) जवाब है हां, वह पी. ए. सी. के दायरे में नहीं आएगा। (10) इस स्तर पर अधिनियम की धारा 140 और 163-ए और जी. आर.-36 को उद्धृत करना उचित होगा ।उन्हीं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"140. कुछ मामलों में मुआवजे का भुगतान करने की देयता

कोई गलती नहीं के सिद्धांत पर -

(1) जहां मोटर वाहन या मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अक्षमता हुई है, वहां वाहन का मालिक, या, जैसा भी मामला हो, वाहन के मालिक, संयुक्त रूप से

अलग-अलग, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मृत्यु या अक्षमता के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुआवजे की राशि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में उप-धारा (1) के तहत देय होगी, वह पचास हजार रुपये की एक निश्चित राशि होगी और किसी

भी व्यक्ति की स्थायी अक्षमता के संबंध में उस उप-धारा के तहत देय मुआवजे की राशि बीस-पांच हजार रुपये की एक निश्चित राशि होगी।

(3) उप-धारा (1) के तहत मुआवजे के किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने और स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में दावा किया गया है, वह वाहन या संबंधित वाहन के मालिक या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक के कारण था।

(4) उप-धारा (1) के तहत मुआवजे के दावे को उस व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक के कारण विफल नहीं किया जाएगा, जिसकी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में दावा किया गया है और न ही ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में वसूली योग्य मुआवजे की मात्रा को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के लिए जिम्मेदारी में ऐसे व्यक्ति के हिस्से के आधार पर कम किया जाएगा।

(5) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उप-धारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जिसके लिए वाहन का मालिक राहत के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, वह उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुआवजा देने के लिए भी उत्तरदायी है:

बशर्ते कि किसी अन्य कानून के तहत दिए जाने वाले ऐसे मुआवजे की राशि को इस धारा के तहत या धारा 163-ए के तहत देय मुआवजे की राशि से कम कर दिया जाएगा।

163 – ए. संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के बारे में विशेष प्रावधान

(1)इस अधिनियम या तत्काल लागू किसी अन्य कानून या कानून के बल वाले साधन में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिकृत बीमाकर्ता के मोटर वाहन का मालिक मोटर वाहन मुआवजे के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में, जैसा कि दूसरी अनुसूची में इंगित किया गया है, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।– इस परयोजनो के लिए

उप-धारा, "स्थायी उप-धारा का वही अर्थ और सीमा होगा जो श्रमिकों के

मुआवजा अधिनियम 1923 में है।

उप-धारा (1) के तहत मुआवजे के किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में दावा किया गया है, वह किसी गलत कार्य या वाहन या संबंधित वाहन के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा या चूक के कारण था।

(3) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

जीआर **36:**व्यक्तिगत दुर्घटना **(**पी. ए.**)** मोटर पॉलिसी के तहत कवर **(** किए गए वाहनों पर लागू नहीं**)**

वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क की धारा ई, एफ और जी)

ए**.** मालिक के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा **-**

चालक अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा केवल देयता और पैकेज नीतियों दोनों के तहत लागू होगी।'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले बीमित वाहन के मालिक को इस धारा के उद्देश्यों के लिए मालिक चालक कहा जाता है।

बीमित वाहन में सह-चालक के रूप में चढ़ने/उतरने या यात्रा करने सहित वाहन चलाते समय मालिक-चालक को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है।

एनबी:यह प्रावधान व्यक्तिगत दुर्घटना कवर से संबंधित है और केवल व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत मालिक ही अनिवार्य कवर का हकदार है जहां उसके पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है।इसलिए अनिवार्य पी. ए. सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है जहां एक वाहन का स्वामित्व एक कंपनी, एक साझेदारी फर्म या एक समान निकाय कॉर्पोरेट के पास है या जहां मालिक चालक के पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।ऐसे सभी मामलों में, जहां अनिवार्य पी. ए. कवर नहीं दिया जा सकता है, वहां मालिक-चालक के लिए अनिवार्य पी. ए. कवर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाना चाहिए और पॉलिसी में अनिवार्य पी. ए. कवर प्रावधान को भी हटा दिया जाना चाहिए।जहां मालिक-चालक के पास एक से अधिक वाहन हैं, वहां उसके द्वारा चुने गए केवल एक वाहन के लिए अनिवार्य पी. ए. सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

(11) अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में एक भ्रांति है।'मालिक-चालक' शब्द को परिभाषित किया गया है।

जीआर-36 के तहत ।इसमें कहा गया है कि "अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा यह दोनों मामलों यानी केवल देयता और पकेज नितिया के तहत लागू होगा ।

'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले बीमित वाहन के मालिक को इस धारा के उद्देश्यों के लिए मालिक-चालक कहा जाता है ।परिभाषा स्पष्ट रूप से 'मालिक-चालक' के अर्थ को प्रतिबंधित करती है, इसमें केवल बीमित वाहन का मालिक शामिल है ।एक और शर्त यह है कि पी. ए. सी. के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए, मालिक के पास एक 'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।(12) जी. आर.-36 के नोट में कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत मालिक ही व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा का हकदार है यदि उसके पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है ।उक्त बीमा वहाँ नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ वाहन का स्वामित्व किसी कंपनी, साझेदारी फर्म या इसी तरह के निकाय कॉर्पोरेट के पास हो ।यह आगे स्पष्ट करता है कि मालिक का प्रतिनिधि पी. ए. सी. के दायरे में नहीं आएगा ।

(13) 'मालिक-चालक' शब्द को परिभाषित किया गया है, इसलिए, दावेदार को लाभ देने के लिए परिभाषा से कोई भी शब्द जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता है ताकि 'मालिक-चालक' शब्द का अर्थ मालिक या चालक तक बढ़ाया जा सके ।

(14) अधिनियम की धारा 163-ए के अवलोकन और निंगम्मा के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से, न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर कोई छाया नहीं डाली जा सकती है ।इसके अलावा पी. ए. सी. का मामला वाहन के उधारकर्ता के लिए नहीं हो सकता है ।

(15) तथापि, अधिनियम की धारा 140 को लागू करना उचित होगा । उक्त प्रावधान के तहत, दावेदार 'नो फॉल्ट लायबिलिटी' के लिए Rs.50,000/- के हकदार हैं, जैसा कि प्रावधान किया गया है, जिसका भुगतान उल्लंघन करने वाले वाहन के बीमाकर्ता द्वारा किया जाना है ।

(16) अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है ।

ऋतंभ्र ऋषि

असवीकरण:- सथानिय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अनय उदेशय के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता । सभी वयवहारिक और अधिकारिक

उदेशयो के लिये निर्णय का अगरेजी सनसकरण परमाणिक होगा और निषपादन और कारयानयन के उदेशयो के लिये उपयुकत रहेगा ।

राज कुमार

अनुवादक